

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2017

क्रमांक 2309 /2203/2017/18-5-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना 2006 में दिनांक 23/11/2016 द्वारा जारी किये गये संशोधन, जिसके तहत ऐसे उद्योग जिन्हें पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, परंतु यदि उनके प्रोडक्ट मिक्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, परंतु प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो उन प्रकरणों में पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के स्थान पर "प्रदूषण भार में अनावृद्धि प्रमाण-पत्र" राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त किया जाना होगा।

2/ राज्य शासन द्वारा पर्यावरण भार में अनावृद्धि प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु तकनीकी समिति का गठन किया जाता है, उक्त समिति में निम्नलिखित विशेषज्ञों को नामांकित किया जाता है:-

- (1) सदस्य सचिव, म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि - सदस्य
- (2) आंचलिक अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि - सदस्य
- (3) डॉ० मोहिनी सक्सेना, से० नि० वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, एम्प्री, भोपाल - सदस्य
- (4) श्री अनिल कुमार शर्मा, प्राध्यापक, मेनिट, भोपाल - सदस्य
- (5) श्री मो० अकरम खान, प्रधान वैज्ञानिक, एम्प्री, भोपाल - सदस्य
- (6) डॉ० सोनल मेहता, सदस्य, एसईएसी-2, भोपाल - सदस्य

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजीव शर्मा)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2017

क्रमांक 2310 /2203/2017/18-5
प्रतिलिपि:

- 1/ सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल । कृपया अपने स्तर से समिति के सदस्यों को प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 2/ समिति के सदस्य।
- 3/ स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय।

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग